

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|------|---|
| 1. भौरीलाल पुत्र बालू जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तह. बस्सी। | | 1. युगलेश कुमार पुत्र श्री रामराय जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया तह. बस्सी। 2. मुकेश कुमार जोशी पुत्र स्व. रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालाजी का बास मोहनपुरा तह. बस्सी। 3. सुज्या पुत्र जगन्नाथ 4. रामप्रसाद पुत्र छाज्या 5. रामकिशोर पुत्र बालू 6. कैलाश पुत्र बालू 7. रामानन्द पुत्र मूलचन्द 8. छोटेलाल पुत्र मूलचन्द 9. मुकेश 10. कमलेश 11. योगेश 12. अजय पिसरान प्रभूनारायण 13. गौरा 14. आरती पुत्रिया नाबालिग जरिये माता सोनी देवी पत्नि प्रभूदयाल समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा तह. बस्सी। 15. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 16. उपपंजीयक बस्सी 17. सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर। |

दावा बाबत विभाजन, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 46/15

निर्णय दिनांक 24.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है। पक्षकारों ने उपस्थित होकर संशोधित कुरैजात तैयार कराने की सहमति दी। मौके पर संशोधित कुरैजात तैयार कराये गये। तहसीलदार बस्सी से संशोधित कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त संशोधित कुरैजात व नक्शे पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त कुरैजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुरैजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार बस्सी के द्वारा कुरैजात सरस-नरस व कब्जे को ध्यान में रखकर बनाये जाने के कारण एवं उक्त कुरैजात पर पक्षकारों द्वारा सहमति जाहिर करने के फलस्वरूप दावा डिक्री किया गया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान द्वारा कुरैजात पर सहमति जाहिर करने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

सदित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 143/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदार युगलेश कुमार शर्मा पुत्र रामराय शर्मा जाति ब्राह्मण सा. गोकुलपुरा लसाडिया बस्सी राहिन एस.बी.आई. शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 74/1 रकबा 17 बिस्वा भूमि खातेदार मुकेश कुमार पुत्र रामजीलाल जोशी जाति ब्राह्मण नि. ग्राम बालाजी का वास मोहनपुरा राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 74, 143/1 कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदार सूज्या पुत्र जगन्नाथ हि. 1/7 रामकिशोर, भौरीलाल, कैलाश पि. बालू हि. 2/7 बिना रहन रामानन्द पुत्र मूलचन्द हि. 4/21 राहिन बी.ओ.आई. शाखा बस्सी मुकेश, कमलेश, योगेश, अजय पि. स्व. प्रभूनारायण, गोरा, आरती(ना.बा.) पुत्रिया प्रभूनारायण हि. 4/2, छोटेलाल पुत्र मूलचन्द हि. 4/2, राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा तूंगा जाति हरि. ब्राह्मण सा.देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

आज दिनांक 24.05.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलदास ममें मजमें आम में सुनाया गया।

Bmal
24.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर
वादी बनाम प्रतिवादी

1. भौरीलाल पुत्र बालू
जाति हरि. ब्राहमण निवासी
ग्राम टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।

1. युगलेश कुमार पुत्र श्री रामराय
जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम
गोकुलपुरा लसाडिया तह. बस्सी।
2. मुकेश कुमार जोगी पुत्र स्व. रामजीलाल
जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालाजी का
बास मोहनपुरा तह. बस्सी।
3. सुज्या पुत्र जगन्नाथ
4. रामप्रसाद पुत्र छाज्या
5. रामकिशोर पुत्र बालू
6. कैलाश पुत्र बालू
7. रामानन्द पुत्र मूलचन्द
8. छोटेलाल पुत्र मूलचन्द
9. मुकेश
10. कमलेश
11. योगेश
12. अजय पिसरान प्रभूनारायण
13. गौरा
14. आरती पुत्रिया नाबालिग जरिये माता
सोनी देवी पत्नि प्रभूदयाल
समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी
टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।
15. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
16. उपपंजीयक बस्सी
17. सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 46/15

निर्णय दिनांक 24.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 143/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदार युगलेश कुमार शर्मा पुत्र रामराय शर्मा जाति ब्राहमण सा. गोकुलपुरा लसाडिया बस्सी राहिन एस.बी.आई. शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 74/1 रकबा 17 बिस्वा भूमि खातेदार मुकेश कुमार पुत्र रामजीलाल जोशी जाति ब्राहमण नि. ग्राम बालाजी का वास मोहनपुरा राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 74, 143/1 कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदार सूज्या पुत्र जगन्नाथ हि. 1/7 रामकिशोर, भौरीलाल, कैलाश पि. बालू हि. 2/7 बिना रहन रामानन्द पुत्र मूलचन्द हि. 4/21 राहिन बी.ओ.आई. शाखा बस्सी मुकेश, कमलेश, योगेश, अजय पि. स्व. प्रभूनारायण, गौरा, आरती(ना.बा.) पुत्रिया प्रभूनारायण हि. 4/2, छोटेलाल पुत्र मूलचन्द हि. 4/2, राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा तूंगा जाति हरि. ब्राहमण सा.देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार

सहायक कलक्टर
क. मजि
बस्सी जिला जयपुर

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की
 तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
 बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.18 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....
 ओहदा.....

| मुद्दर्ई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| दावा | | | दावा | | |
| स्टाम्प | | | स्टाम्प | | |
| बकालतनामा | | | बकालतनामा | | |
| स्टाम्प वहत | | | स्टाम्प वहत | | |
| सबूत | | | सबूत | | |
| महन्ता वकील | | | महन्ता वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस | | | फीस | | |
| कमिश्नर | | | कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी

